आदेश पत्र

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25-01-2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 08-04-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
-04-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मारित करें। अभिलेख दिनांक- 02-05-2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	

02-05-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12-05-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।
-05-2023	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती दस्तावेज एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अंचल अधिकारी, मनातू।
7-2023	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्यों की व्यस्तता के कारण अभिलेख पर सुनवाई नहीं की जा सकी। जांच प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक / C.I. एवं अंचल अमीन से प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 08-08-23 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू।
-08-23	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी मनातू। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 146/II पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री / श्रीमति देवनन्दन सिंह वगैरह के नाम दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0........ आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद / संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है। अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, मनातू।

<u>अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय</u>

वाद अभिलेख संख्या 39......../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम देवशरण सिंह पि० रामदयाल सिंह
सा० - सिलदिलिया खुर्द

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा सिलदिलिया कला .... थाना नं0 479 खाता नं0 125 खेसरा नं0 421 रकबा 4.50 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0.............. के पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिन्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक 12-05-23 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त भूमि का रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

थान :

कार्यालय अंचल अधिकारी मनातू पलामू

मुहर

26.4.23

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.10.17 15:36:01 +05:30
Location: 192.168.246.140